UPSB040141552022

न्यायालय Addl. Civil Judge (Jr. Div.) C RNo. 1, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Sri Naved Akhtar), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) - UP03322**

Warrant or Summons Criminal Case/12116/2022

RAM NARAYAN Vs. HARIHAR AND OTH.

26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। पूर्व में दिये गये अंतिम अवसर के बाद भी परिवादी द्वारा कोई मोहलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके द्वारा न तो स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दर्ज कराया गया है और न ही किसी अन्य साक्षी को अर्न्तगत धारा–202 दं0प्र0सं0 में परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा परिवाद पत्र पर भी कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः विपक्षी को साक्ष्याभाव में तलब किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। जिसके आधार पर प्रस्तुत परिवाद अं0धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट/
प्रथम अपर सिविल जज जू0डि0,
सोनभद्र